

भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव

प्रलिस के ललल:

राष्ट्रपति, भारतीय चुनाव आयोग और चुनाव से संबंघति संवैधानिकी प्रररधरन ।

मेन्स के ललल:

राष्ट्रपति का चुनाव और महरभयिग ।

चर्रर में क्युँ?

भरर के वर्तमरन राष्ट्रपति का कर्यकरल जुलाई 2022 में सडररत होने वरलर है, इसके सरथ ही उसके उत्तररधकिररी का चुनाव करने के ललल देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव आयुऑति कलल जरएंगे ।

राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

परचलल:

- भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक नरररररक मंडल प्रणरली के मरध्यम से कलल जरतर है, जसलमें राष्ट्ररीय और ररज्य स्तर के सरंसर्वुँ दवरर वुऑ डरले जरते हैं ।
- चुनाव का आयुऑन **भररतीय चुनाव आयोग** (EC) दवरर कलल जरतर है ।
 - नरररररक मंडल संसद के **उचुऑ एवं नमलन सदन** (**ररज्यसभर और लुकसभर सरंसर्वुँ**) के सभर नररररररर सदस्युँ एवं ररज्युँ व केंद्रसरसलतल परदेशुँ की **वधलनसभररुँ** (वधररररुँ) के नररररररर सदस्युँ से बनर होता है ।
- **संबंघति संवैधानिकी प्रररधरन:**
 - **अनुऑऑेद 54:** राष्ट्रपति का चुनाव ।
 - **अनुऑऑेद 55:** राष्ट्रपति के चुनाव की प्रकरररर ।
 - **अनुऑऑेद 56:** राष्ट्रपति के पद का कर्यकरल ।
 - **अनुऑऑेद 57:** पुनरनररररररर हेतु परतररर ।
 - **अनुऑऑेद 58:** राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु युुग्यतर ।

प्रकरररर:


- मतदरन से प्रुव नररररकन चरण आतर है, जहलँ उडुडीदवरर चुनाव में खडे होने का इररदर प्रसतुत करतर है और 50 प्रसतवररुँ एवं 50 सडररथकुँ की हसुतरकषरररर सुऑी के सरथ नररररकन दरखलल करतर है ।
- ये प्रसतवररक और सडरररथक ररज्य एवं राष्ट्ररीय स्तर के नररररररक मंडल के सदस्युँ में से कुुई भी हो सकते हैं ।
 - 50 प्रसतवररुँ और सडरररथकुँ की आवश्यकतर से संबंघति नरररर तड लरगु कलल जरतर जब चुनाव आयोग ने 1974 में देखर ककुई ऐसे उडुडीदवररुँ, जलनलमें से ककुई के ऑीतने की संभरररनर भी कम थी, दवररर चुनाव लडने के ललल नररररकन दरखलल कलल जरतर ।
- एक मतदरतर एक से अधकल उडुडीदवररुँ के नररररकन का प्रसतवरर यर सडरररथन नररर कर सकतर है ।

प्रतुत्येक वुऑ का डुल्य क्यर है और इसकी गणनर कैसे की जरती है?

- प्रतुत्येक सरंसद यर वधरररक दवरर डरले गए वुऑ की गणनर एक वुऑ के रूप में नररर की जरती है ।
- **ररज्यसभर और लुकसभर के प्रतुत्येक सरंसद के वुऑ का डुल्य 700 नररररररर** है ।
- वधररररुँ के वुऑ का डुल्य अलग-अलग ररज्युँ की जनसंख्यर पर नररररर करतर है ।
 - **संवधरन (84वुँ संशुोधन) अधनलररर 2001** के अनुसर, वर्तमरन में ररज्युँ की जनसंख्यर वर्ष 1971 की जनगणनर के आँकडुँ पर आधररररर है जसलमें बदलरर वर्ष **2026 के डरद की जनगणनर के आँकडे** प्रकशरररर होने के डरद कलल जरएंगर ।
- प्रतुत्येक वधरररक के वुऑ का डुल्य ररज्य की वधरनसभर में वधररररुँ की संख्यर से वभररऑति करके तथर प्रररुत डरगफल कुु 1000 से वभररऑति करके नररररररर कलल जरतर है ।

- उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वधायक के लिये सबसे अधिक वोट मूल्य 208 है। महाराष्ट्र में एक वधायक का वोट मूल्य 175 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह सिर्फ 8 है।

॥



जीत सुनिश्चित करने के लिये क्या आवश्यक है?

- एक मनोनीत उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता है बल्कि वोटों के एक विशिष्ट कोटे को हासिल करने की प्रणाली के माध्यम से जीत सुनिश्चित होती है। मतगणना के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतपत्रों के माध्यम से नरिवाचक मंडल द्वारा डाले गए सभी वैध मतों का योग किया जाता है तथा जीत के लिये उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% + 1 प्राप्त करना होता है।
- आम चुनावों के विपरीत यहाँ मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार के लिये वोट करते हैं तथा नरिवाचक मंडल के मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम वरीयता क्रम में लिखे जाते हैं।
- राष्ट्रपतिका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धतिद्वारा होता है तथा गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग:

- अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल 'संवधान के उल्लंघन (Violation Of The Constitution) के आधार पर पद से हटाया जा सकता है।
- हालाँकि भारतीय संवधान में 'संवधान का उल्लंघन' वाक्यांश के अर्थ को परभाषित नहीं किया गया है।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया (Impeachment Process) संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पर सदन के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव मूल सदन (Originating House) में विशेष बहुमत (दो-तर्हिाई) द्वारा पारित किया जाना चाहिये।
- इसके बाद प्रस्ताव को दूसरे सदन में विचार हेतु भेजा जाता है। दूसरा सदन एक नरिक्षक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जाँच के लिये एक प्रवर समिति का गठन किया गया है।
- प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को अधिकृत वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। वह अपना बचाव करने का वकिल चुन सकता है या ऐसा करने के लिये भारत के किसी व्यक्ति/वकील या अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर सकता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्यों में भिन्न होता है।
2. लोकसभा सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट मूल्य से अधिक होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

स्रोत: द हिंदू